

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11072023-247216
SG-DL-E-11072023-247216

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]	दिल्ली, सोमवार, जुलाई 10, 2023/आषाढ 19, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 141
No. 222]	DELHI, MONDAY, JULY 10, 2023/ASHADHA 19, 1945	[N. C. T. D. No. 141

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2023

सं. F.13(479)/UD/LB-I/Duty on Transfer/2023/CD : 021726408/249.—निम्नलिखित सामान्य जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित किया जाता है:—

दिल्ली नगर निगम
(मूल्यांकन एवं संग्रहण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2023

क्रमांक A&C(HQ)/TD/2023-24/1464.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 147(2)(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली नगर निगम स्थानांतरण शुल्क की दर, महिला (तीसरे लिंग सहित) के मामले में 2% से 3% और पुरुष और अन्य (यानी कोई अन्य ईकाई) के मामले में 3% से 4% बढ़ाता है जो कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। यह वृद्धि 25 लाख रुपये से अधिक राशि वाले लिखत पंजीकरण के

लिए लागू है, लेकिन 25 लाख रुपये तक की पंजीकरण राशि वाले लिखत पर स्थानांतरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कुणाल कश्यप, आई आर एस,
कर निर्धारक एवं समाहर्ता

आदेश द्वारा,
के. एस. मीणा, आई ए एस, विशेष सचिव (शहरी विकास)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 10th July, 2023

F. No. 13(479)/UD/LB-I/Duty on Transfer/2023/CD: 021726408/249.—The following is published for general information and necessary action:-

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI

(Assessment and Collection Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2023

No. A&C(HQ)/TD/2023-24/1464.—In exercise of the powers conferred by Section 147(2)(b) of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, the Municipal Corporation of Delhi hereby increases the rate of Transfer Duty from 2% to 3% in case of female (including third gender) and from 3% to 4% in case of male & others (i.e. any other entity) with effect from the date of publication of this Notification. This enhancement is applicable for registration of instruments having the amount more than Rs.25 lakhs but there is no change in the Transfer Duty on instruments having registration amount upto Rs 25 lakhs

KUNAL KASHYAP, IRS, Assessor & Collector, MCD

By Order,
K. S. MEENA, IAS, Spl. Secy. (UD)